झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

<u>प्रथम अपील सं0–76 वर्ष 2019</u>

रंजन कुमार सिन्हा .... अपीलार्थी

बनाम्

श्रीमती पूजा कुमारी .... प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री कैलाश प्रसाद देव

अपीलार्थी के लिए :– श्री प्रत्युष कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिएः– श्री अनुराग कश्यप, अधिवक्ता

09 / 24.02.2020

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.01.2020 के आदेश का संदर्भ दिया जाना चाहिए जो निम्नवत पठित हैः–

'पक्षों ने मध्यस्थता के दौरान एक समझौता किया है, जिसमें उनके संयुक्त हस्ताक्षर दिनांक 04.01.2020 के तहत नियम एवं शर्तों को दर्ज किया गया है, जो विद्वान मध्यस्थ, झालसा द्वारा पत्र सं0 12 दिनांक 06.01.2020 द्वारा दाखिल किया गया मध्यस्थता रिपोर्ट, जो फ्लैग–'Y' पर रखा हुआ, के साथ संलग्न है।

समझौता की शर्तों के अनुसार, समझौता के समय सहमति हुई कि 7 लाख रू0 की कुल राशि में से, 1 लाख रूपये प्रतिवादी को भुगतान किया गया है। अपीलकर्त्ता को सक्षम न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन दाखिल करने के समय 1 लाख रूपये का भुगतान करना आवश्यक है। शेष किस्तों का भुगतान, समझौता में इंगित समय के अनुसार किया जाना है।

आपसी सहमति से विवाह–विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विद्वान अधिवक्ता दो सप्ताह के समय के लिए प्रार्थना किए हैं।

तद्नुसार, मामले को 10.02.2020 के सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए।''

इसके बाद, पक्षों को आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन दायर करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आपसी सहमति से तलाक के लिए एक आवेदन आज विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, राँची की अदालत के समक्ष दाखिल किया गया है।

उन परिस्थितियों में और मध्यस्थता के दौरान, पक्षों के बीच हुए समझौता के प्रकाश में, अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता इस अपील को संचालन करने की कोशिश नहीं करते हैं।

इसे, तद्नुसार, संचालन नहीं करने के वजह से खारिज किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह न्याया0)

(कैलाश प्रसाद देव, न्याया0)